अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 8/2016-सेवा कर

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 468(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 26/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना में,--

(क) पहले पैरा की सारणी में,--

(i) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| "2 | रेल द्वारा मालों का परिवहन (नीचे क्रम सं. 2क पर विनिर्दिष्ट सेवाओं से भिन्न) | 30 | कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश और पूंजी मालों पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है ।"; |

(ii) क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और उससे संबंधित प्रविष्टयों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| "2क | रेल द्वारा आधानों में मालों का परिवहन | 40 | कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश और पूंजी मालों पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है ।"; |

(iii) क्रम सं0 3 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश और पूंजी मालों पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है ।"

(iv) क्रम सं0 7 के सामने स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्रयुक्त घरेलू मालों से भिन्न मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अभिकरण की सेवाएं ।"

(v) क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और उससे संबंधित प्रविष्टयों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| "7क | प्रयुक्त घरेलू मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अभिकरण की सेवाएं | 40 | कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश, पूंजी मालों और निवेश सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन सेवा प्रदाता द्वारा मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है । |
| 8 | किसी चिटफंड के फोरमैन द्वारा चिट के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं | 70 | कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश, पूंजी मालों और निवेश सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है ।"; |

(vi) क्रम सं. 9क के सामने, स्तंभ (2) में, मद (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, मद और प्रविष्टि 1 जून, 2016 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(ग) कोई स्टेज कैरिज";

(vii) क्रम सं0 10 के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश और पूंजी मालों पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है ।"

(viii) क्रम सं0 11 और उससे संबंधित प्रष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| "11 | निम्नलिखित के संबंध में किसी पर्यटन प्रचालक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं,--<br>(i) कोई पर्यटन, किसी व्यक्ति के लिए केवल वास सुविधा की व्यवस्था या बुकिंग करने के प्रयोजन के लिए । | 10 | (i) किसी पर्यटन प्रचालन की निवेश सेवाओं से भिन्न कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश, पूंजी मालों और निवेश सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है ।<br>(ii) जारी किया गया बीजक, बिल या |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | चालान यह उपदर्शित करता है कि वह ऐसी वास सुविधा के लिए प्रभारों के मद्दे है ।<br><br>(iii) यह छूट ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी, जहां किसी पर्यटन प्रचालक द्वारा किसी पर्यटन के संबंध में जारी बीजक या बिल या चालान में केवल किसी व्यक्ति हेतु वास सुविधा की व्यवस्था या बुकिंग करने के लिए सेवा प्रभार सम्मिलित हैं किन्तु ऐसी वास सुविधा की लागत सम्मिलित नहीं हैं । |
| | (ii) उपर्युक्त (i) से भिन्न कोई अन्य पर्यटन | 30 | (i) किसी पर्यटन प्रचालन की निवेश सेवाओं से भिन्न, कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेश, पूंजी मालों और निवेश सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है ।<br><br>(ii) इस प्रयोजन के लिए जारी किया गया बिल यह उपदर्शित करता है कि उसमें ऐसे पर्यटन के लिए प्रभार सम्मिलित है और बिल में प्रभारित रकम, ऐसे पर्यटन के लिए प्रभारित कुल रकम है ।"; |

(ix) क्रम सं0 12 और उससे संबंधित प्रष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| "12 | ऐसे काम्पलैक्स, भवन, सिविल सरंचना या उसके किसी भाग का संनिर्माण, जो पूर्णतः या अंशतः किसी क्रेता को विक्रय के लिए आशियत है, सिवाय वहां के, जहां संपूर्ण प्रतिफल को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् प्राप्त किया गया है । | 30 | (i) कराधेय सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त निवेशों पर मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के उपबंधों के अधीन मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नहीं लिया गया है ।<br><br>(ii) सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्रभारित रकम में भूमि के मूल्य को सम्मिलित किया गया है ।"; |

(ख) स्पष्टीकरण में, पैरा ख के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"खक. क्रम सं0 9 पर छूट के प्रयोजनों के लिए, प्रभारित रकम, सेवा, जिसके अन्तर्गत सभी मालों (ईंधन सहित) का उचित बाजार मूल्य भी है, के लिए प्रभारित रकम और प्राप्तिकर्ता (प्राप्तिकर्ताओं) द्वारा सेवा में या सेवा के संबंध में, प्रदान की गई सेवाओं, चाहे उन्हें उसी संविदा या किसी अन्य संविदा के अधीन प्रदान किया गया हो, का कुल योग होगा :

परन्तु मालों और इस प्रकार प्रदान की गई सेवाओं के उचित बाजार मूल्य का अवधारण साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार किया जा सकेगा ।"।

(ग) पैरा 2 में, खंड 'ख' का लोप किया जाएगा ।

2. अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/1/2016-टीआरयू]

(क. कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण** : मूल अधिसूचना सं0 26/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 468(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 13/2015-सेवा कर, तारीख 19 मई, 2015 द्वारा जो सा.का.नि. 397(अ), तारीख 19 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।